निर्धारित प्रारूप पर साप्ताहिक सूचना
महत्वपूर्ण/समयबद्ध/ई–मेल
संख्या– 558/नौ–7–2021–27(ज)/2014टी.सी.-7

प्रेषक,

डा0 इंद्रमणि त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांकः 19 मई, 2021

विषयः कोविड–19 संक्रमण के कारण हुयी मृत्यु की दशा में शवों का निःशुल्क अन्तिम संस्कार की साप्ताहिक सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–536/नौ–7–2021–27(ज)/2014टी.सी. दिनांक 07.05.2021, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि कोविड–19 के संक्रमण के कारण हुई मृत्यु की दशा में नगरीय निकायों की सीमान्तर्गत शवों का अंतिम संस्कार निःशुल्क कराया जाय। अंतिम संस्कार में कोविड–19 के प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जाय। उपरोक्त कार्यवाही हेतु होने वाले व्यय का वहन निकायों द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किया जाएगा। यह व्यय एक प्रकरण में अधिकतम रू0 5000/– तक होगा।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने निकाय में कोविड संक्रमित शवों के किये गये अंतिम संस्कार विषयक साप्ताहिक सूचना निर्धारित प्रारूप (संलग्न) पर **प्रत्येक बृहस्पतिवार को सायं 07.00 बजे तक निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को** उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(डा0 इंद्रमणि त्रिपाठी)
विशेष सचिव। 19/5/21

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया निकायों द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त सूचना को संकलित कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
19.05.2021

(कल्याण बनर्जी)
उप सचिव।

so 7 vivek 3

Scanned with CamScanner

कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में जारी शासनादेश संख्या–536 / नौ–7–2021–27(ज) / 2014टी.सी.–1, दिनांक 07.05.2021 के क्रम में कोविड संक्रमित शवों के निःशुल्क अन्तिम संस्कार के संबंध में साप्ताहिक सूचना।
(प्रत्येक शुक्रवार से बृहस्पतिवार तक की सूचना)

दिनांक ....05–2021 से दिनांक......05–2021 तक

क0सं0	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	नगर निकाय का नाम	शासनादेश के अनुक्रम में निःशुल्क किये गये अंतिम संस्कारों की कुल संख्या		शासनादेश के अनुसार अधिकतम अनुमन्य सीमा रू0 5000.00 प्रति अंतिम संस्कार के अनुसार व्यय धनराशि (रू0 में)		अंतिम संस्कार (अन्त्येष्टि / दफनाना) हेतु प्रदत्त सामाजिक सहायता (स्वयं सेवी संस्थाओं / संगठनों / व्यक्तियों आदि द्वारा) का विवरण
				सप्ताह में (शुकवार से बृहस्पतिवार)	सप्ताह तक (कमिक)	सप्ताह में (शुकवार से बृहस्पतिवार)	सप्ताह तक (कमिक)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Scanned with CamScanner